

**पूर्व मन्त्रालय और कार्यिक विभाग में राज्य मन्त्री (जी राज निवास चिह्न) :** (क) 1961 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार भारत में 10.21 लाख नेपाली भाषी लोग हैं।

(ख) जी हाँ, श्रीमान्।

(ग) ज्ञापन में दी गई मुख्य बातें ये हैं कि नेपाली भाषा को निम्नलिखित आधारों पर संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाय :—

- (i) नेपाली भाषा भारत के लगभग 50 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है।
- (ii) नेपाली भाषा दर्जिलिंग और आस-पास के अन्य क्षेत्रों के एक बड़े भाग के लोगों की मुख्य भाषा है। नेपाली भारत के उनिष्ठ मित्र नेपाल की राज्य भाषा है और यह भूटान तथा सिक्किम के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है। इन देशों के सामाजिक, राजनीतिक और भास्कृतिक सम्बन्ध भारत के साथ बहुत गहरे और बड़े मजबूत हैं।
- (iii) देश की नेपाली भाषी जनसंख्या भारत की सुरक्षा का प्रधान अंश है और वे भारत के राजनीतिक जीवन में एक बड़ी भूमिका अदा करते हैं।
- (iv) नेपाली भाषा लोगों को सामाजिक विकास तथा संस्कृति व भाषा के विकास के लिए सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।

ज्ञापन में दिये गये प्रस्ताव अंतीत में भी प्राप्त हुए थे। भारत सरकार का यह निश्चित मत है कि राष्ट्र के विस्तृत हित में संविधान की आठवीं सूची का विस्तार नहीं किया जाना चाहिए।

**बौद्धी योजना के दौरान मध्य प्रदेश में सीमेंट कारखाने की स्थापना**

**1407. जी गंगाधरण दीक्षित :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बौद्धी पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में सीमेंट का एक कारखाना खोलने का सरकार का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी लागत क्या होगी तथा उससे कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा ?

**बौद्धोगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :** (क) मेडर (मध्य प्रदेश) में एक 2,00,000 वार्षिक क्षमता वाला सीमेंट का संयंत्र सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा चालू किया जा चुका है। 1,86,060 भी० टन वार्षिक ब्लास्ट फर्नीस स्लेग सीमेंट बनाने हेतु एक के पर्याप्त विस्तार का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया गया है तथा औपचारिक मंजूरी जारी हो रही है।

(ख) मेडर की पर्याप्त विस्तार योजना पर 211 लाख रुपये की त्रै व्यय का अनुभान है तथा इससे 105 वर्षों को रोजगार मिलने की आशा है।

**लाइसेंसों के लिए मध्य प्रदेश से प्राप्त अनिवार्य आवेदन-पत्र**

**1408. जी गंगाधरण दीक्षित :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस दिये जाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को आवेदन-पत्र भेजे हैं तथा जिन पर केन्द्रीय सरकार के निर्णय नहीं किया है;